न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

(1)–अपील इन्तकाल संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/13	01–01–2013	19–02–2018

1. मनोहर
2. रधुवीर पुत्रान ईसर
3. रोहताश
4. सरजीत पुत्रान रामदेव
5. मोनू
6. सतीश पुत्रान बलवन्त
7. डीगा पुत्र जीवाराम
8. फलकौर बेवा सूरजा
9. नरेश
10. कृष्ण पुत्रान सूरजा
11. सरोज
12. पूनम
13. सुमित्रा पुत्रीयान सूरजा जाति अहीर निवासीयान ग्राम ढाकी तहसील तिजारा अलवर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. विक्रमजीत पुत्र सिद्धूराम जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा अलवर हाल ग्राम बहरियाकी तहसील पेहवा जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा
2. लतादेवी पत्नि रामरतन जाति अहीर निवासी ग्राम फतियाबाद तहसीलकिशनगढबास
3. सुनीता देवी पत्नि कंवर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा
4. तहसीलदार भू0अ0 तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा दिनांक 13–09–2012 बाबत इन्तकाल सं0 388 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर।

(2)–अपील इन्तकाल संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/13	01–01–2013	19–02–2018

1. मनोहर
2. रधुवीर पुत्रान ईसर
3. रोहताश
4. सरजीत पुत्रान रामदेव
5. मोनू
6. सतीश पुत्रान बलवन्त
7. डीगा पुत्र जीवाराम
8. फलकौर बेवा सूरजा
9. नरेश
10. कृष्ण पुत्रान सूरजा
11. सरोज
12. पूनम
13. सुमित्रा पुत्रीयान सूरजा जाति अहीर निवासीयान ग्राम ढाकी तहसील तिजारा अलवर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. विक्रमजीत पुत्र सिद्धूराम जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा अलवर हाल ग्राम बहरियाकी तहसील पेहवा जिला कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
2. लतादेवी पत्नि रामरतन जाति अहीर निवासी ग्राम फतियाबाद तहसील,किशनगढबास
3. सुनीता देवी पत्नि कंवर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा
4. तहसीलदार भू0अ0 तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा दिनांक 13–09–2012 बाबत इन्तकाल सं0 387 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री औमानन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट

02. श्री जे0सी0सतीजा –वकील रेस्पोडेन्ट

––:: निर्णय ::––

उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार तिजारा के निर्णय के विरूद्ध पेश की गई हैं। दोनों अपीलों के पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने के कारण दोनों अपीलों की एक साथ बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है। निर्णय प्रति दोनो पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 13–09–2012 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 387 एवं 388 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया एवं ना ही मौके पर कब्जे की जॉच कराई गई। तहत अदालत को अपीलाधीन आज्ञा में वर्णित आराजी के बारे में विभिन्न अदालतों में नियमित वाद विचाराधीन होने की जानकारी पूर्व से ही थी। अपीलाधीन आज्ञा में वर्णित विवादित आराजी रैस्पा0 संख्या–1 के पिता सिद्धूराम पुत्र गंगाराम को सरकार द्वारा अलॉट की गयी थी। सिद्धूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी सालिम आराजी को बेचान जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 21–08–1965 को अपीलान्ट वो उनके बुजुर्गो व अन्य हरलाल वगैरा को बेचान कर दिया गया था। अपीलाधीन आज्ञा में वर्णित आराजी के संबंध में नियमित वाद सूरजा बनाम विक्रमजीत अदालत उप खण्ड अधिकारी तिजारा में अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व विचाराधीन था और अदालत ने आराजी के संबंध में अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की हुई थी एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से भी स्थगन था। तथा जिसका नोट जमाबन्दी में अंकित है, जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 जिसकी नकल जारी की है, तहत अदालत ने स्टे होने के बावजूद इंतकाल निर्णित किये है। लेकिन रैस्पा0 संख्या–1 ने सक्षम अदालत से स्थगन होने के उपरान्त भी विवादित आराजी का बेचान जरिये रजि0 बयानामा दिनांक 05–10–2006 को रैस्पा0 संख्या 2–3 को कर दिया, जिस बयनामा पर उप पंजीयक तिजारा ने पंजीयन नियम 39 का नोट भी लगाया हुआ है। इसके उपरान्त भी तहत अदालत ने गलत तरीके पर विवादित इंतकाल तस्दीक कर दिया जो काबिल निरस्त है। बयनामा दिनांक 05–10–2006 के आधार पर पटवारी हल्का ने सन् 2007 में इंतकाल दर्ज कर दिया था ओर विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार 30 दिन की अवधि तक पेश करने पर इंतकाल तस्दीक करने का क्षेत्राधिकारी ग्राम पंचायत को है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

परन्तु ग्राम पंचायत के समक्ष इंतकाल पेश नही हुआ और तहत अदालत ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए दिनाक 13–09–2012 को विवादित इंतकाल दर्ज व तस्दीक कर दिया जो काबिल निरस्त है एवं पक्षकारान के मध्य अधिकारों के संबंध में सक्षम अदालत में नियमित वाद विचाराधीन है तो नियमित वाद विचाराधीन होते हुए तहत अदालत को इंतकाल कार्यवाही को स्थगन रखना न्यायहित आवश्यक था चूँकि इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के अधिकार तय नही होते है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 25–10–2012 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात नकल प्राप्त कर व कानूनी सलाह लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी। प्रश्नगत भूमि रेस्पा0 के नाम विधिवत दर्ज की गई है, अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि से कोई हित एवं सरोकार नही है एव ना ही अपीलान्ट इंतकाल कार्यवाही में पक्षकार थे। अपीलान्ट ने अपील में मुख्य आधार स्वयं द्वारा वर्ष 1965 में विवादित आराजी को सिद्धूराम से क्रय किये जाने पर बताया गया है जबकि वर्ष 1965 में भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी। जिस पर कानूनन किसी भी प्रकार का बेचान प्रारम्भ से शून्य है। अपीलान्ट का कोई हित नहीं है। अपीलान्ट ने अपील बिना अनुमति ले पेश की है। अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त फरमाई जावें। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–09–2012 को दर्ज व स्वीकार किया गया जो उचित किया गया है, दिनांक 13–09–2012 को अपीलाधीन इंताकल दर्ज व स्वीकार करते समय प्रकरण में कोई स्थगन आदेश या अन्य अपर न्यायालय में वाद विचाराधीन नही था, और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ती या उजरदारी पेश नही की गई थी। अपीलान्ट अपील मियाद बहार पेंश की जो खारिज योग्य है, एवं अपील हाजा के साथ दस्तावेज पेश किये है वों समस्त फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व संतोषजनक कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट मय हाजा खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपीलें तहसीलदार तिजारा के निर्णय दिनांक 13–09–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10–12–2012 को करीब 3 माह विलम्ब से पेश की है। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि सिद्धूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी सालिम आराजी को बेचान जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 21–08–1965 को अपीलान्ट वो उनके बुजुर्गो व अन्य हरलाल वगैरा को बेचान कर दिया गया था।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलाधीन आज्ञा में वर्णित आराजी के संबंध में नियमित वाद सूरजा बनाम विक्रमजीत अदालत उप खण्ड अधिकारी तिजारा में अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व विचाराधीन था और अदालत ने आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई थी एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से भी स्थगन प्राप्त था। तथा जिसका नोट जमाबन्दी में अंकित है, तहत अदालत ने स्टे होने के बावजूद इंतकाल निर्णित किये है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उप खण्ड अधिकारी तिजारा के द्वारा बउनवानी प्रकरण सूरजा बनाम विक्रमजीत की आदेशिका दिनांक 23–07–2008 द्वारा प्रार्थना पत्र में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखी जावें, और प्रार्थना पत्र दावें के साथ कन्सोलिडेंट किया जाता है के आदेश प्रचलित किये गये थे। तहसीलदार तिजारा के पत्रांक 426–27 दिनांक 27–02–2013 के द्वारा पटवारी हल्का को पत्र जारी कर लिखा गया है कि बउनवानी प्रकरण रधुवीर सिंह बनाम विक्रम सिंह में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा निर्णय दिनांक 01–02–2008 पारित किया हुआ है, कि भूमि के विक्रय को देखते हुऐ ताफैसला यथा स्थिते बनाये रखे एवं उप खण्ड अधिकारी के यहाँ मूल वाद विचाराधीन है जब तक मूल वाद का निपटारा नही हो जाता है माननीय राजस्व मंडल का आदेश प्रभावी है आदेश की पालना सुनिश्चित करें। उप खण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनांक 18–10–2012 को प्रार्थना पत्र सी0पी0सी0 की धारा आदेश 7 नियम 11 प्रकरण संख्या 251/06 बउनवानी सूरजा बनाम विक्रमजीत में अस्वीकार किया एवं प्रकरण संख्या 791/02 बउनवानी सूरजा बनाम विक्रमजीत स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया गया है। हमने अपीलाधीन इंतकाल का अवलोकन किया, अपीलाधीन इंतकाल संख्या 387 एवं 388 दिनांक 13–09–2012 को तहत अदालत द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया है। आराजी के संबंध में उप खण्ड अधिकारी तिजारा एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर के स्थगन आदेश के बावजूद व वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय किया गया है, जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है। वैसे भी इंतकाल की कार्यवाही एक समरी प्रोसेडिंग है जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं होते। विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हित तय किये जाने है। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। इंतकाल संख्या 388 एवं 387 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय में नियमित वाद का निर्णित होने पर विधि अनुसार सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली में न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी तिजारा की संलग्न आदेशिका दिनाक 23.07.2008 एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 01–02–2008 से जाहिर है कि प्रकरण में अनियमितता हुई है। अनियमितता की जांच हेतु प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की यथासम्भव एक माह में जांच कर जांच में अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने वाले अधिकारी एवं कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करें।

निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावें, एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार अग्रिम कार्यावाही हेतु भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/02/18

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर, अलवर